पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 ई0 (अग्रहायण 06, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–48

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	351–362	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	291–292	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	65–73	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2010 ई0

संख्या 630/XXVII(9)/2010/स्टाम्प–47/2010–राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त आदेशों/अधिसूचना में आंशिक उपान्तर करते हुए जिला नैनीताल के उप–जिला हल्द्वानी की सीमाओं में परिवर्तन करके जिला नैनीताल में एक नया उप–जिला हल्द्वानी द्वितीय बनाते हैं और उप–जिला हल्द्वानी प्रथम और द्वितीय की सीमाओं को जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ तीन में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं।

2–राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन उप–रजिस्ट्रार उप–जिला हल्द्वानी द्वितीय ज्ञात नाम से कार्यालय स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3–राज्यपाल, उपर्युक्त परिवर्तन को दिनांक 23–8–2010 से प्रभावी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

कार्यालय उप–रजिस्ट्रार हल्द्वानी (प्रथम) जनपद नैनीताल का क्षेत्राधिकार

क्र0 सं0	उप–जिले का नाम	उप जिले की सीमाऐं
1	2	3
1.	हल्द्वानी (प्रथम)	(1) राजस्व तहसील कालाढूंगी की सीमान्तर्गत स्थित सम्पूर्ण क्षेत्र (2) राजस्व तहसील हल्द्वानी की सीमान्तर्गत स्थित क्षेत्रों में से निम्नलिखित क्षेत्र/ग्राम :– 1–हल्द्वानी बिचली 2–हल्द्वानी मल्ली 3–चांदनी चौक घुड़दौरा 4–चांदनी चौक सांगुडी 5–चांदनी चौक तिला 6–चांदनी चौक गरवाल 7–चांदनी चौक भगीरथ 8–हरीपुर जमन सिंह 9–धनपुरी 10–हिम्मतपुर बैजनाथ 11–हरीपुर कुंवरसिंह 12–गुसाईपुर 13–हल्दुपोखरा नायक 14–पाण्डेनवाड 15–चांदनी चौक बल्यूटिया

1	2	3
1.	हल्द्वानी (प्रथम)	16–हल्दूपोखरा दरम्वाल
		17–पूरनपुर
		18–आनन्दपुर
		19–देवलचौड बन्दो0
		20–देवलचौड खाम
		21–मानपुर पूरब
		22–मानपुर उत्तर
		23–मानपुर पश्चिम
		24–पानपुर
		25–भगवानपुर जयसिंह
		26–भगवानपुर बिचला
		27–भगवानपुर तल्ला
		28–छडायल नयावाद
		29–छडायल सुयाल
		30–हिम्मतपुर मल्ला
		31–हिम्मतपुर तल्ला
		32–बमोरी तल्ली खाम
		33–गोरखपुर तल्ला
		34–बिठोरिया नं0 दो
		35–पनियाली/पनियाली खाम
		36–बिटोरिया नं0 एक
		37–दमुवाढूंगा खाम
		38–दमुवाढूंगा बन्दो0
		39–शिवालालपुर
		40–नवाडमौला हरक सिंह
		41–गुजरौडा
		42–कुरियागांव
		43–नवाड सैलानी
		44–बसानी
		45–फतेहपुर
		46–गुलजारपुर
		47–कमलुवागांजा कब्डाल
		48–कमलुवागांजा गौड
		49–कमलुवागांजा नरसिंह मल्ला
		50–कमलुवागांजा नरसिंह तल्ला
		51–प्रेमपुर नवाड
		52–रतनपुर ईसाई
		53–रामपुर लामाचौड
		54–पदमपुर पडलिया
		55–नरीपुर पडलिया
		56–लामाचौड खास
		57–पूरनपुर कुमटिया
		58–लोहरियासाल मल्ला
		59–लोहरियासाल तल्ला
		60–गजेपुर
		61–दौलतपुर

1	2	3
1.	हल्द्वानी (प्रथम)	62–देवला तल्ला
		63–लछमपुर
		64–नयागांव सम्भल
		65–खेड़ा
		66–नवाड़ खेड़ा
		67–किशननगरी
		68–जगतपुर
		69–लखनपुर
		70–ज्वालापोखरी
		71–रतनपुर नेगी
		72–मदनपुर
		73–बसन्तपुर
		74–त्रिलोकपुर दानी
		75–हरीपुर ठठोला
		76–भगवतपुर
		77–झूठपुर उर्फ जीतपुर
		78–जसपुर खोलिया
		79–किशनपुर पौडिया
		80–उदयपुर रैक्वाल
		81–सीतापुर
		82–हरकपुर क्वीरा
		83–भरतपुर नं0 एक
		84–भरतपुर नं0 दो
		85–गुनीपुर भौना
		86–कमलुवागांजा मेहता
		87–हरीपुर शिवदत्त
		88–अर्जुनपुर
		89–हरीपुर पूर्णानन्द
		90–गौजाजाली बिचली
		91–उम्मेदपुर नं0 एक
		92–उम्मेदपुर नं0 दो
		93–चोरगलिया तल्ला आमखेड़ा
		94–गोविन्दपुर
		95–परसरामपुर
		96–पचुवाखेड़ा
		97–चोरगलिया कुमटिया
		98–देवपुर सनवाल
		99–हरीपुर मतोलिया
		100–चोरगलिया जोस्युड़ा
		101–मल्ला पचौनिया
		102–लाखनमंडी खोला बाजार
		103–देवपुर दनाई
		104–मल्ला चोरगलिया
		105–तल्ला पचौनिया
		106–लाखनमंडी
		107–कटान नयागांव

1	2	3
1.	हल्द्वानी (प्रथम)	108–मुखानी 109–गौजाजाली उत्तर 110–बमोरी तल्ली बन्दों0 111–हल्द्वानी खास एन जैड ए व अन्य

कार्यालय उप–रजिस्ट्रार हल्द्वानी (द्वितीय) जनपद नैनीताल का क्षेत्राधिकार

क्र0 सं0	उप–जिले का नाम	उप जिले की सीमाऐं
1	2	3
1.	हल्द्वानी (द्वितीय)	(1) राजस्व तहसील लालकुआँ की सीमान्तर्गत स्थित सम्पूर्ण क्षेत्र (2) राजस्व तहसील हल्द्वानी की सीमान्तर्गत स्थित क्षेत्रों में से निम्नलिखित क्षेत्र/ग्राम :– 1–हरीपुर सूखा 2–हल्द्वानी तल्ली 3–हरीपुर मोतिया 4–हरीपुर रतनसिंह 5–हरीपुर लालमणी 6–हरीपुर फुटकुआँ 7–बजवालपुर 8–बैडापौखरा 9–किशनपुर घुड़दौरा 10–लालपुर नायक 11–गोविन्दपुर गरवाल 12–जयदेवपुर 13–फूलचौड़ 14–प्रेमपुर लुस्यानी 15–जौलासाल उर्फ करायल 16–जीतपुर नेगी 17–उदयलालपुर 18–करायल चतुर सिंह 19–रामडी आनसिंह 20–ब्यूराखाम/ब्यूरा बन्दो0 21–हरीपुर शील 22–हरीपुर गांगू 23–छड़ायल नायक 24–हरीपुर नायक 25–हीरागढ़ दलीपसिंह 26–हरीपुर कर्नलवाड़ 27–कोर्ता 28–गोरखपुर मल्ला 29–चीनपुर 30–नन्दपुर 31–बजूनिया हल्दू 32–हरीनगर 33–धूनी नं0 एक

1	2	3
1.	हल्द्वानी (द्वितीय)	34–बच्चीनगर नं0 दो 35–चौसंला 36–जयपुर पाडली 37–पीपलपोखरा गजेसिंह 38–पीपलपोखरा नं0 एक 39–पीपलपोखरा नं0 दो 40–मीठा आंवला 41–खुशालपुर 42–पूरनपुर नैनवाल 43–देवपुर देवका 44–बच्चीनगर नं0 एक 45–जीतपुर निगल्टिया 46–रामडी छोटी 47–खेमपुर 48–धूनी नं0 दो 49–रामडी जसुवा 50–ईसाईनगर नं0 एक 51–आनसिंह नवाड 52–गुनीपुर जीवानन्द 53–ईसाईनगर नं0 दो 54–नाथूपुर पाडली 55–देवपुर कुरिया 56–आनपुर नवाड 57–खडकपुर ईसाई 58–सुन्दरपुर बेलवाल 59–नयागांव महरा 60–हिम्मतपुर नकायल 61–हिम्मतपुर गौलापार 62–कुंवरपुर 63–देवला मल्ला 64–देवला तल्ला पंजाया 65–विजयपुर 66–देवला तल्ला सिमलार 67–किशनपुर रैक्वाल 68–कल्याणपुर 69–सुन्दरपुर रैक्वाल 70–सेला भावर त्रिलोक सिंह 71–बांसखेड़ा ईश्वरी दत्त 72–सेला भावर मेहर सिंह 73–देवपुर पोखरिया 74–हरसिंहपुर उर्फ लछमपुर 75–रुपपुर 76–कालूपुर पोखरिया 77–गंगापुर गौलापार 78–पदमपुर रैकुनी

1	2	3
1.	हल्द्वानी (द्वितीय)	79–जीतपुर रैक्वाल 80–पदमपुर निगल्टिया 81–धौलाखेड़ा 82–हरीपुर तुलाराम 83–हैडागांजा 84–मदनपुर 85–कटान खनवाल 86–मुखानी खडकू 87–घूसापुर 88–गंगापुर 89–मुखानी जोगा 90–दौलाबादपुर 91–धरमपुर 92–धरमगढ़ 93–हरकिशनपुर 94–भवानीपुर 95–बचैपुर परगांई 96–दूबेल बोरा 97–जयपुर 98–इन्दरपुर 99–कुसुमखेड़ा 100–बमोरी मल्ली 101–काठगोदाम नॉन जैड ए

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 630/XXVII(9)/2010/Stamp-47/2010,** Dehradun, dated August 23, 2010 for general information :

NOTIFICATION

August 23, 2010

No. 630/XXVII(9)/2010/Stamp-47/2010--In exercise of the powers conferred by section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act No. 10 of 1897), the Governor, in partial modification of previous notification/Orders issued in this behalf, is pleased to form a new sub-districts Haldwani II in district Nainital by altering the limits of sub-district Haldwani of district Nainital and to prescribe the limits of sub-districts Haldwani I, Haldwani II, as shown against each in column 3 of the schedule below.

2. The Governor is pleased to establish under section 7 of the aforesaid Act known as the offices of sub-registrar in sub-districts Haldwani II.

3. The Governor is pleased also that the above alteration shall come into force with effect from dated August 23, 2010.

SCHEDULE

JURISDICTION OF SUB-REGISTRAR OFFICE (I[st]), HALDWANI, DISTRICT NAINITAL

Sl. No.	Name of Sub-District	Limits of Sub-District
1	2	3
1.	Haldwani (I[st])	(1) Total area under the limits of revenue Tahsil Kaladhungi (2) Following areas/villages under the limits of revenue Tahsil Haldwani :-- 1. Haldwani Bichalli 2. Haldwani Malli 3. Chandani Chok Gurdora 4. Chandani Chok Sanguri 5. Chandani Chok Tilla 6. Chandani Chok Garwal 7. Chandani Chok Bhagirath 8. Haripur Jamansingh 9. Dhanpuri 10. Himmatpur Bajnath 11. Haripur Kuwarsingh 12. Gusaipur 13. Haldupokhara Nayak 14. Pandaynawar 15. Chandani Chok Balutia 16. Haldupokhara Daramwal 17. Puranpur 18. Anandpur 19. Develchor Bandobasti 20. Develchor kham 21. Manpur Purab 22. Manpur Uttar 23. Manpur Paschim 24. Panpur 25. Bhangwanpur Jaysingh 26. Bhangwanpur Bichala 27. Bhangwanpur Talla 28. Chrayal Nayabad 29. Chrayal Suyal 30. Himmatpur Malla 31. Himmatpur Talla 32. Bamori talli Kham 33. Gorakhapur Talla 34. Bithoria No. 2 35. Paniyali/paniyali kham 36. Bithoria No. 1 37. Damuadunga Kham 38. Damuadunga Bando 39. Sivlalpur 40. Nawarmolla Haraksingh 41. Gujrora 42. Kuriagaun 43. Nawar Sallani 44. Basani 45. Fatehpur 46. Guljarpur 47. Kamaluwagaja Kabadwal

1	2	3
1.	Haldwani (I[st])	48. Kamaluwagaja Gaur 49. Kamaluwagaja Narsingh Malla 50. Kamaluwagaja Narsingh Talla 51. Prempur Nawar 52. Ratanpur Esai 53. Rampur Lamachur 54. Padampur Padalia 55. Naripur Lamachur 56. Lamachur khas 57. Puranpur Kumatia 58. Lohariyasal Malla 59. Lohariyasal Talla 60. Gajapur 61. Daulatpur 62. Devlla Talla 63. Lachampur 64. Nayagaun Sambhal 65. Khera 66. Nawar Khera 67. Kishan Nagari 68. Jagatpur 69. Lakhanpur 70. Jawala Pokhari 71. Ratanpurnegi 72. Madhanpur 73. Basantpur 74. Trilokpur Dani 75. Haripur Thathola 76. Bhagwatpur 77. Jhoothpur Alis Jeetpur 78. Jaspur Kholia 79. Kishanpur Poria 80. Udaypur Raikwal 81. Seetapur 82. Harakpur Kwera 83. Bharatpur no. 1 84. Bharatpur no. 2 85. Gunipur Bhonna 86. Kamaluwagaja Mehta 87. Haripur Shivdatt 88. Arjunpur 89. Haripur Purmanand 90. Gojajalli Bhichlli 91. Umedpur no. 1 92. Umedpur no. 2 93. Chorgalia Talla Aamkhera 94. Govindpur 95. Parasrampur 96. Pachuakhera 97. Chorgalia Kumatia 98. Devpur Sanwal 99. Haripur Mahtolia

1	2	3
1.	Haldwani (I[st])	100. Chorgalia Josyura 101. Malla Pachonnia 102. Lakhanmandi Khola Bazar 103. Devpur Danai 104. Mall Chorgalia 105. Talla Pachonia 106. Lakhanmandi 107. Katan Nayagaun 108. Mukhani 109. Gojajali Uttar 110. Bomari Talli Bando 111. Haldwani khas N Z A & other

JURISDICTION OF SUB-REGISTRAR OFFICE (II[nd]), HALDWANI, DISTRICT NAINITAL

Sl. No.	Name of Sub-District	Limits of Sub-District
1	2	3
1.	Haldwani (II[nd])	(1) Total area under the limits of revenue Tahsil Lalkuwan (2) Following areas/villages of revenue Tahsil Haldwani :-- 1. Haripur Sukha 2. Haldwani talli 3. Haripur Motia 4. Haripur Ratansingh 5. Haripur Lalmani 6. Haripur Futkuwa 7. Bajwalpur 8. Barapokhara 9. Kishanpur Gurdora 10. Lalpur Nayak 11. Govindpur Garwal 12. Jaidevpur 13. Pholchaur 14. Prempur Losyani 15. Jolasal Alis Karyal 16. Jeetpur Negi 17. Udeylalpur 18. Karayal Chutar Singh 19. Ramri Aansingh 20. Burya kham/Burya Bando 21. Haripur Sheel 22. Haripur Gangu 23. Chrayal Nayak 24. Haripur Nayak 25. Heeragar Daleepsingh 26. Haripur Karnalwad 27. Korta 28. Gorakhpur Malla 29. Cheenpur 30. Nandpur 31. Bajunia Haldu 32. Harinagar 33. Dhoni No. 1 34. Bachhinagar No. 1

1	2	3
1.	Haldwani (II[nd])	35. Chosala
		36. Jaypur Padli
		37. Pipalpokhar Gajesingh
		38. Pipalpokhar No. 1
		39. Pipalpokhar No. 2
		40. Meeta Awala
		41. Khusalpur
		42. Puranpur Nainwal
		43. Devpur Devka
		44. Bachhinagar No. 1
		45. Jeetpur Nigaltia
		46. Ramri Choti
		47. Khempur
		48. Dhooni no. 2
		49. Ramri Jasua
		50. Esainagar no. 1
		51. Aansingh Nawar
		52. Gunipur Jeevanand
		53. Esainagar no. 2
		54. Nathupur Padli
		55. Devpur Kurya
		56. Aanpur Nawar
		57. Kharakpur Eashi
		58. Sunderpur Belwal
		59. Nayagoan Mehra
		60. Himmatpur Nakayal
		61. Himmatpur Golapar
		62. Kuwarpur
		63. Devlla Malla
		64. Devlla Talla Pajya
		65. Vijaypur
		66. Devlla Talla Simlar
		67. Kishanpur Rakwal
		68. Kalyanpur
		69. Sunderpur Rakwal
		70. Sela Bhabar Trilok Singh
		71. Bash Khera Easyridatt
		72. Sela Bhabar Mehar Singh
		73. Devpur Pokhari
		74. Harsinghpur Alis Lachampur
		75. Rooppur
		76. Kalupur Pokharia
		77. Gangapur Golapar
		78. Padampur Raikuni
		79. Jeetpur Raikwal
		80. Padampur Nigaltia
		81. Dholakhera
		82. Haripur Tullaram
		83. Hairaganja
		84. Madhanpur
		85. Katan Khanwal
		86. Mukhani Kharku
		87. Ghosapur
		88. Gangapur
		89. Mukhani Joga

1	2	3
1.	Haldwani (II[nd])	90. Dolabadpur 91. Dharampur 92. Dharamgarh 93. Harikishanpur 94. Bhawanipur 95. Bachipur Pargai 96. Duble Bora 97. Jaipur 98. Inderpur 99. Kusum Khera 100. Bomari Malli 101. Kathgodam Non ZA

By Order,

RADHA RATURI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/526–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उँत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 ई0 (अग्रहायण 06, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 08, 2010

No. 409/UHC/XIV/40/Admin.A--Smt. Meena Tiwari, District & Sessions Judge, Chamoli, is hereby sanctioned earned leave for 23 days *w.e.f.* 23.08.2010 to 14.09.2010 with permission to prefix 22.08.2010 as Sunday.

October 08, 2010

No. 410/XIV-90/Admin.A/2003--Sri Mithilesh Jha, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar, is hereby sanctioned medical leave for 12 days *w.e.f* 17.08.2010 to 28.08.2010

October 25, 2010

No. 413/XIV-a-12/Admin.A/2009--Sri Ashok Kumar Maan, 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 21.09.2010 to 01.10.2010 with permission to suffix 02.10.2010 as Gandhi Jayanti and 03.10.2010 as Sunday.

October 25, 2010

No. 414/XIV/08/Admin.A/2008--Smt. Reena Negi, Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 33 days *w.e.f.* 06.09.2010 to 08.10.2010 with permission to prefix 05.09.2010 as Sunday and to suffix 09.10.2010 and 10.10.2010 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

October 25, 2010

No. 415/UHC/XIV/48/Admin.A--Sri Uttam Singh Nabiyal, Addl. District Judge, Rishikesh, Distt. Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 28 days *w.e.f.* 03.09.2010 to 30.09.2010 with permission to prefix 02.09.2010 as Janamashtami holiday.

October 27, 2010

No. 416/XIV-90/Admin. A/2003--Sri Mithilesh Jha, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar, is hereby sanctioned medical leave for 28 days *w.e.f.* 11.09.2010 to 08.10.2010.

October 27, 2010

No. 417/XIV-69/Admin.A/2003--Smt. Rama Pandey, Chief Judicial Magistrate, Chamoli, is hereby sanctioned earned leave for 23 days *w.e.f.* 08.09.2010 to 30.09.2010.

October 29, 2010

No. 418/UHC/XIV/52/Admin. A--Sri Rajendra Joshi, Addl. District Judge/1st F.T.C., Roorkee, Distt. Hardwar, is hereby sanctioned medical leave for 05 days *w.e.f.* 20.09.2010 to 24.09.2010.

October 29, 2010

No. 419/XIV-a-45/Admin. A/2008--Sri Malik Mazhar Sultan, 4th Addl. District Judge, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 07.09.2010 to 25.09.2010 with permission to suffix 26.09.2010 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/526–भाग 1–क–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 ई0 (अग्रहायण 06, 1932 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल

जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर की उपविधियाँ

14 अक्टूबर, 2010 ई0

संख्या 67/इक्कीस–7/2010–11–जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, सन् 1994 व अधिनियम सं0 29, सन् 1995 की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सड़कों के किनारे लगने वाले व्यवसायिक बोर्डों को नियन्त्रित तथा विनियन्त्रित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियां सृजित की जाती हैं जो कि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

होर्डिंग्स

उपविधियां

1–यह उपविधियां जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन/बोर्ड/होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार कार्य के निमित नियन्त्रित उपविधियां कहलायेंगी। ये उपविधियां गजट में प्रकाशन होने की तिथि से जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी होंगी।

2–(क) विज्ञापन बोर्ड का अर्थ उस बोर्ड से है जो किसी भी व्यवसायिक/व्यापारिक दृष्टि के उद्देश्य से प्रचार एवं प्रसार हेतु किसी सार्वजनिक सड़क के किनारे जनसाधारण के पढ़ने के लिये किसी भी उद्यमी, फर्म, संस्था, कम्पनी, फैक्ट्री या व्यक्ति विशेष द्वारा व्यापारिक हित में लगाये गये हों।

(ख) नियन्त्रण का अर्थ विज्ञापन बोर्ड की सड़क के किनारे से एक निश्चित दूरी पर/मार्गों पर आवागमन नियमित संचालित कक्ष के हित में जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप लगाने से है।

3–कोई भी व्यक्ति/संस्था जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारिक/व्यवसायिक दृष्टि से किसी कच्ची अथवा पक्की सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों, विकसित कस्बों, बाजारों में जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की पूर्व अनुमति लिये बिना न तो बोर्ड लगायेगा तथा न ही बोर्ड लगाने के लिये सड़क के किनारे गड्ढा खोदेगा। बिना पूर्व अनुमति लिये लगाया गया बोर्ड जिला पंचायत द्वारा उखाड़ लिया जायेगा तथा अपने कब्जे में रख लिया जायेगा ऐसा बोर्ड उखड़वाने अथवा लगवाने/रखवाने में जो भी खर्चा होगा वह सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था से वसूल किया जायेगा।

4–जनसाधारण की सुविधा, सुरक्षा एवं यातायात को सुलभ बनाने की दृष्टि से सड़क किनारे लगने वाले बोर्ड की दूरी सड़क से निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

(क) कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, ईकाई, फैक्ट्री आदि प्रचार–प्रसार का विज्ञापन/होडिंग्स प्रचार कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय मार्ग एवं राज्यीय मार्ग के मध्य से 55 फुट के अन्तर्गत इस प्रकार से लगायेगा जिससे किसी प्रकार की बाधा यातायात तथा आवागमन न हो।

(ख) लिंक मार्ग या अन्य कोई पक्का मार्ग के बाहरी किनारे से 20 फुट जगह छोड़कर बोर्ड/होडिंग्स स्थापित किये जायेंगे।

(ग) किसी की कच्चे मार्ग के किनारे से 10 फुट जगह छोड़कर बोर्ड स्थापित किये जायेंगे।

(घ) उक्त बिन्दुओं में दी गयी दूरी से कम चौड़ाई का मार्ग होने की स्थिति में बोर्ड मार्ग के अन्तिम किनारे पर ही स्थापित करना होगा।

5–बोर्ड की स्थापना लकड़ी की बल्ली या लोहे के गार्डर द्वारा इस प्रकार की जायेगी कि तेज हवा या तूफान में वह उखड़ न सके।

6–जनसाधारण की सुविधा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड का साईज मार्ग की चौड़ाई को ध्यान में रखतें हुए 15 वर्ग फीट से अधिक नहीं होगा। इससे बड़ा बोर्ड स्थापित करने के लिए लाइसेंस अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी की जांच आख्या के उपरान्त ही अनुमति पत्र (लाइसेंस) निर्गत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

7–बोर्ड के ऊपर लिखाई ऐसी इंक/पेंट द्वारा लिखना प्रतिबन्धित होगा जिस पर रात में वाहनों की रोशनी पड़ने पर चमक हो।

8–किसी भी बोर्ड अथवा होडिंग्स पर अश्लील भाषा का लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

9–विज्ञापन बोर्ड पर स्त्री अथवा पुरुष के नग्न, अथवा अर्द्धनग्न फोटो जिस पर आम जनता विरोध दर्शाये, लगाना पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।

10–जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी एवं कर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी सड़क के किनारे पर लगने वाले बोर्ड को इस उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन पाये जाने पर लगाने/लिखने के कार्य को बीच में ही रुकवाने के लिए अधिकृत होंगे।

11–जनसामान्य की सुविधा की दृष्टि से प्राप्त किसी भी शिकायत पर जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को दिये निर्देशों का तत्काल पालन करना व्यक्ति/संस्था को अनिवार्य होगा।

12–विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से आरम्भ होगी और 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

13–इन उपविधियों के लागू हो जाने के उपरान्त नये बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को पूर्व में लाइसेंस अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र एवं वांछित कागजात उपलब्ध कराने होंगे, तथा अनुमति पत्र (लाइसेंस) जारी होने के उपरान्त ही बोर्ड लगाना नियमित होगा अर्थात बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति/संस्था द्वारा लाइसेंस प्राप्त किये बिना बोर्ड स्थापित नहीं किया जायेगा।

14–प्रत्येक वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण 31 मार्च से पूर्व करा लेना अनिवार्य होगा। 31 मार्च तक लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने की स्थिति में प्रति माह 25.00 रु0 विलम्ब शुल्क लगाया जायेगा। लाइसेंस न लेने की स्थिति में माननीय न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा तथा वाद कम्पाउन्ड कराने की स्थिति में लाइसेंस शुल्क सहित 50 प्रतिशत कम्पाउन्ड शुल्क देय होगा।

15–इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी होंगे। अपर मुख्य अधिकारी चाहें तो कार्याधिकारी/कर अधिकारी को इस कार्य हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

16–लाइसेंस अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत को की जा सकती है, अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

17–इन उपविधियों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन/बोर्ड/होडिंग्स लिखायी सूचना पट पर लाइसेंस शुल्क वसूली के कार्य को ठेका/नीलाम पद्धति से भी किया जा सकता है।

18–इन उपविधियों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थान, विकसित कस्बों, बाजारों में विभिन्न प्रचार–प्रसार के विज्ञापन बोर्ड, होडिंग्स लिखायी सूचना पट पर लाइसेंस शुल्क की दरें प्रति बोर्ड अथवा होडिंग्स की दशा में निम्नवत् होंगी।

(क) 15 वर्ग फीट साईज के होडिंग्स/विज्ञापन बोर्ड तक 200.00 रु0 प्रति बोर्ड

(ख) 15 वर्गफीट साईज की लम्बाई–चौड़ाई से अधिक के सूचना पट पर प्रतिवर्ग फीट की दर से वार्षिक शुल्क देय होगा। 10.00 रु0 अतिरिक्त

लाइसेंस अधिकारी का अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के प्रचार–प्रसार के विज्ञापन होडिंग्स पर शुल्क वसूली कार्य यथास्थिति क्षेत्रवार, विकसित कस्बावार, बाजारवार एवं सड़कवार अलग–अलग भी कर सकते हैं।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा व अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन 1000.00 रु0 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, 50.00 रु0 प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड हो सकेगा अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो 3 मास तक हो सकेगा।

14 अक्टूबर, 2010 ई0

संख्या 68/इक्कीस–7/2010–11–जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (संशोधित उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, सन् 1994 व अधिनियम सं0 29, सन् 1995) की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक पार्किंग तथा जन साधारण की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए लदान–ढुलान कर नियमित/निश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियां सृजित की जाती हैं जो कि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

लदान–ढुलान की उपविधियां

1–यह उपविधियां जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की लदान–ढुलान (ट्रैफिक पार्किंग एवं जनसाधारण की सुरक्षा एवं सुविधा) उपविधियां कहलायेगी।

2–यह उपविधियां जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर के द्वारा विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3–यह उपविधियां जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी।

4– परिभाषायें :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों का अर्थ उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (एक्ट सं0 33, सन् 1961) में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार होगी।

(ख) पशु बाजार या मेला या जनसाधारण के उपयोग में आने वाला सामान जहां से निश्चित अड्डे बनाकर जिला पंचायत अड्डे संचालित करेंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से भी विभिन्न सामान का लदान/ढुलान होगा, वे इस क्षेत्र में सम्मिलित होंगे।

(ग) सार्वजनिक स्थान उस स्थान अथवा स्थानों से है, जहां जनसाधारण का आवागमन होता है।

(घ) वाहन का तात्पर्य यांत्रिक वाहनों से है, जो लदान/ढुलान में प्रयोग किये जाते हैं।

5–इन उपविधियों के अन्तर्गत जो भी वाहन ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जनउपयोग सामान का लदान अथवा ढुलान में चलाया जा रहा हो अथवा उसके इस प्रयोजनार्थ चलाने की शंका हो, उसे तलाशी हेतु इन उपविधियों के निम्न अनुसूची–1 के अनुसार शुल्क भुगतान करने हेतु रोका जा सकता है। ऐसे वाहन के मालिक/मालिकों को निर्धारित शुल्क के साथ दण्ड की धनराशि का भी भुगतान करना होगा। जो वाहन निर्धारित भुगतान नहीं करेगा अथवा उपरोक्तानुसार रोकने पर निर्धारित अड्डों पर नहीं रुकेगा, ऐसे वाहन स्वामी के विरुद्ध अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पुलिस बल प्रयोग कर सकते हैं।

टिप्पणी–वाहन मालिक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो वाहन चला रहा हो अथवा वाहन में बैठकर उसे नियन्त्रित कर रहा हो।

6–जब तक निम्न अनुसूची के अनुसार निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया जायेगा, कोई भी वाहन पशुबाजारों, मेलों अथवा जिला पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों से किसी वाहन से लदान–ढुलान नहीं करेगा।

7–जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर ऐसे स्थान, स्टैण्ड या अड्डों के निर्धारण की आवश्यक व्यवस्था करेगी तथा वाहन के लदान/ढुलान हेतु जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर अड्डा बनायेगी। वाहन से सम्बन्धित व्यक्तियों के पानी पीने के लिए ठण्डे पानी की व्यवस्था करेंगी, आवश्यकतानुसार अड्डों पर छाया की व्यवस्था करेंगी एवं विभिन्न सामान जैसे–नदियों के किनारे पत्थरों का लदान/ढुलान आदि व्यवस्थित करने हेतु रास्तों की समुचित व्यवस्था/मरम्मत भी करेंगी।

8–इन उपविधियों के अन्तर्गत कोई भी वाहन किसी भी समय और किसी भी गली में जैसे ऊपर कहा गया है, निर्दिष्ट अड्डे के सिवाय जो कि इस परियोजना हेतु निश्चित है, के अलावा खड़ा नहीं करेगा और उसे खड़ा करने हेतु निर्धारित शुल्क भुगतान करेगा।

9–जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर जन सुरक्षा, सुविधा व जनसाधारण की असुविधा को दूर करने हेतु जो भी उचित/आवश्यक समझे वह गलियों में ऐसे यातायात के नियन्त्रण हेतु स्थान निश्चित करेंगे और उसके विषय में आवश्यक हिदायतें जारी करेंगी, जो कि इन उपविधियों के अन्तर्गत सभी वर्णित वाहनों उनके स्वामी चालकों पर बन्धनकारी होंगे। अड्डों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनता की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत का होगा।

10–जिला पंचायत के अधिकारियों (जिनका वर्णन जिला परिषद् अधिनियम में है) को अधिकार होगा कि वह मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारियों की मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के उल्लंघनों के बारे में और नियमों के उल्लंघन के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करें और उचित कार्यवाही की मांग करें।

11–जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर स्टैण्ड या अड्डा या ठहरने का स्थान जो भी इन उपविधियों में ऊपर वर्णित है के शुल्क को घटाने या बढ़ाने या किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को किसी विशिष्ट समय या अन्य के लिये छूट दे सकती है। खाद, गन्ना या कृषि कार्य के उपयोग में प्रयोग लिये जा रहे वाहन इन उपविधियों के शुल्क से मुक्त होंगे।

12–कथित शुल्क की वसूली जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा सीधे अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेके पर देकर करायी जा सकती है।

टिप्पणी–नीलामी द्वारा ठेके पर ठेकेदार द्वारा वसूली की दशा में अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को समाधान रहे, जिसके लिए वह ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध तहरीर पंजीकृत करायेगा, जिस पर होने वाला कुल व्यय सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

13–अध्यक्ष जिला पंचायत को पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह इन उपविधियों को प्रभावी एवं बन्धनकारी करने के लिये हर दशा में इस उल्लंघन को रोकने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों की सहायता जैसा वह उचित समझें, स्वतन्त्र रूप से या उल्लंघन के लिये जो दण्ड निर्धारित है, उसका उपयोग करें।

14–क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के द्वारा यह हिदायत दी जाती है कि इन उपविधियों के पूर्ण रूप से अथवा किसी अंश का उल्लंघन करने की दशा में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से अर्थ दण्ड वसूल किया जायेगा, जो 1000.00 रु0 तक हो सकता है और जब तक वह उल्लंघन चालू रहे तो प्रथम सजा के बाद 50.00 रुपये प्रतिदिन जब तक कि अपराध चले अर्थदण्ड लिया जायेगा तथा यदि यह समाधान हो जाये कि अपराध उपविधियों का उल्लंघन करने का आदी है, तो उसे तीन मास तक की कैद की सजा भी दी जा सकती है।

अनुसूची

पार्किंग एवं लदान/ढुलान शुल्क :

वाहन का नाम :	रु0
1. मिनी ट्रक	30.00
2. ट्रैक्टर ट्राली	40.00
3. बड़ा ट्रक	50.00

19 अक्टूबर, 2010 ई0

पत्रांक 1162/राजस्व/गजट/2010–11–अधिसूचना उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अनुभाग–2 सं0 809वी/33–2–94–88/76 लखनऊ, दिनांक 18 फरवरी, 1994 द्वारा राज्यपाल महोदय द्वारा बनायी गयी उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (विभव एवं सम्पत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली) नियमावली 1994 तथा उत्तरांचल शासन पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग की अधिसूचना सं0 485/XII/2005/90(11) 2005, दि0 18 जून, 2005 ई0 द्वारा प्रथम संशोधन नियमावली 2005 का अनुपालन, अनुकरण एवं निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1961) की धारा 237, धारा 228 एवं 229 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 119 में आरोपित विभव तथा सम्पत्ति कर निर्धारण वसूली तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपविधियां सृजित की जाती हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

सम्पत्ति एवं विभव कर

उपविधियां

1–संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार :

यह उपविधियां ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड की ''विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण'' ''निर्धारण और वसूली'' उपविधि 2010 कहलायेंगी।

1–यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2–इसका विस्तार ऐसे ग्राम्य क्षेत्रों, ग्रामीण बाजारों में व्यावसायिक बाजार, सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक स्थानों में स्थित बाजारों में होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

2–परिभाषायें :

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 33) से है।

(ख) अपर मुख्य अधिकारी, कार्याधिकारी और कर अधिकारी का तात्पर्य, जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर के अपर मुख्याधिकारी, कार्याधिकारी और कर अधिकारी से है।

(ग) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 119 के अधीन विभव और सम्पत्ति कर से है।

3–कर आरोपित करने के सम्बन्ध में परिषद् पर निर्बंधन :

विभव और सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की शक्ति नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा (2) के अधीन नियत शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगी।

4–कर निर्धारण अधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य :

कर निर्धारण अधिकारी–जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर के अपर मुख्य अधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण में कार्याधिकारी कर निर्धारण अधिकारी होंगे।

(क) कर निर्धारण अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर के सामान्य नियन्त्रण और पर्यवेक्षण में कर निर्धारण सूची तैयार करेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची जिला पंचायत के समक्ष रखेगा, जैसा कि नियमों में व्यवस्थित है और जिला पंचायत द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उसमें आवश्यक संशोधन करेगा।

(ग) सूची को सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित करेगा।

(घ) कर दाताओं से कर वसूल करेगा या करायेगा तथा पंचायत द्वारा सौपें गये अन्य कर्तव्यों का पालन व अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

5–कर निर्धारण का आधार और वर्ष :

कर निर्धारण का आधार और शर्त–(1) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कर निर्धारित की कुल कर योग्य आय के आधार पर कर निर्धारण और भुगतान किया जावेगा।

(2) कर निर्धारिती की कुल कर योग्य आय की गणना उसकी विभवकर और सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत वेतन, मजदूरी और परिलब्धियों से आय, व्यापार से लाभ, बोनस और विनियोजनों से लाभांश और ब्याज भी है, पर विचार करते हुए की जावेगी।

(3) शासन द्वारा रु0 12000/– वार्षिक आमदनी पर विभव एवं सम्पत्ति कर लागू किये जाने के निर्देश दिये हैं लेकिन दिनांक 14–06–2004 की जिला पंचायत बैठक में रु0 36000/– वार्षिक आय से अधिक आय पर विभव एवं सम्पत्ति कर लागू किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

कर आरोपित करने की शर्तें और निर्बधन :

(क) कर की दर वही होगी, जो अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय।

(ख) कर का निर्धारण निकटतम रुपये तक किया जायेगा। 50 पैसे से कम की धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा, जबकि 50 पैसा या उससे अधिक की धनराशि की गणना 1.00 रु0 की जायेगी।

(ग) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि 15,000.00 रु0 (पन्द्रह हजार रु0) प्रति वर्ष से अधिक न होगी।

(घ) कर की दर कुल योग आय पर 0.03 रु0 (पैसा) प्रति रुपया होगी।

6–कर सूची का तैयार किया जाना :

कर का निर्धारण और वसूली–(1) प्रत्येक 15 दिसम्बर को या उससे पूर्व कर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जो कर के देनदार हों, एक सूची तैयार करेगा या करायेगा। तत्पश्चात् वह सूची में दर्ज व्यक्ति के और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के जो सूची में दर्ज न किये गये हों, किन्तु कर के देनदार प्रतीत हों, विभव और सम्पत्ति पर विचार करेगा और ऐसे कर को धनराशि का अवधारण करेगा, जैसे व्यक्ति नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार देनदार होंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम और निर्धारित की गई धनराशि प्रपत्र "क" में कर निर्धारण सूची में दर्ज की जावेगी और उसे यथा संभव प्रत्येक वर्ष की 20 जनवरी को या उससे पूर्व पूरा कर लिया जावेगा। कर का निर्धारण प्रति वर्ष नये सिरे से किया जावेगा किन्तु गत वर्ष की कर सूची को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(2) कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा (2) के खण्ड क में इंगित कर और कर के देनदार प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रपत्र "ख" में सूचना समेकित करेगा।

(3) कर निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये कि :

(क) क्या ऐसा व्यक्ति कर निर्धारण के दायित्व के अधीन है?

(ख) कितनी धनराशि पर कर निर्धारण किया जायेगा? और

(ग) जिला पंचायत में उसके स्वामित्व कब्जे या अध्यासन में भूमि भवन या किसी अन्य सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य

या किराया/रेंट क्या है? इसमें से प्रत्येक में उसका हित क्या है? और यदि स्वामी नहीं है तो स्वामी का नाम व पता क्या है? जिला पंचायत के राजस्व अधीक्षक, कर निरीक्षक, कर समाहर्ता या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से कोई सूचना, जो उसके पास या नियन्त्रण में न हो, देने की अपेक्षा कर सकता है।

7–जिला पंचायत द्वारा कर सूची पर विचार करना और उसे वापस करना :

कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण सूची को पूरा करने के पश्चात् मुख्याधिकारी या अपर मुख्य अधिकारी और अध्यक्ष, जिला पंचायत के अनुमोदन से उसे यथा सम्भव 20 जनवरी या उससे पूर्व जिला पंचायत के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखेगा। जिला पंचायत उक्त सूची को संशोधन सहित या रहित अनुमोदन कर सकती है और उसे यथासम्भव 15 फरवरी तक आवश्यक निर्देशों सहित, यदि कोई हो, कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर देगी।

8–करदाता या उसके अभिकर्ता द्वारा कर सूची का निरीक्षण :

(1) कर निर्धारण अधिकारी, जिला पंचायत के निर्देशों, यदि कोई हो के अनुसार कर निर्धार सूची का पुर्नरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह उस स्थान को सार्वजनिक सूचना देगा, जहां कर दाता या उसके अभिकर्ता किसी प्रकार का भुगतान किये बिना सूची का निरीक्षण कर सकते हैं। और उससे उद्धरण ले सकते हैं।

(2) यदि सार्वजनिक सूचना को किसी दैनिक अंग्रेजी या हिन्दी समाचार पत्र में जिसका उसे क्षेत्र में व्यापक प्रचलन हो प्रकाशित किया गया हो और सार्वजनिक सूचना के लिए उसको जिला पंचायत के सूचना पट पर चिपकाया गया है तो यह समझा जायेगा कि सार्वजनिक सूचना दे दी गयी हैं।

9–आपत्तियों पर विचार :

(1) कर निर्धारण सूची को सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी प्रत्येक कर दाता को नोटिस देगा जिसमें उस पर निर्धारित कर की धनराशि विनिर्दिष्ट की जायेगी और उससे ऐसे नोटिस की तामिल के दिनांक से 30 दिन के भीतर निर्धारित कर के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा।

(2) कर निर्धारण के सम्बन्ध में प्रत्येक आपत्ति लिखित रूप में होगी और उसमें उन अधिकारों का उल्लेख किया जायेगा, जिनसे कर का निर्धारण विवादग्रस्त हो गया हो और उसके कर का निर्धारण अधिकारी के नोटिस में निर्धारित दिनांक से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) कर निर्धारण अधिकारी आवेदक की सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण करेगा और किन्हीं आपत्तियों का निस्तारण करेगा और कर निर्धारण सूची में कोई संशोधन, जो आवश्यक हो, करेगा।

(4) उपनियम–3 के अधीन कर निर्धारण सूची में किया गया कोई संशोधन जिला पंचायत के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखेगा।

10–कर सूची में संशोधित करने की शक्ति :

जिला पंचायत किसी भी समय कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित परिवर्तन या संशोधन कर सकती है:–

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का जिसकी आय पर कर निर्धारित किया जाना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं किया गया है, नाम दर्ज करके।

(ख) ऐसे किसी निर्धारण में जो कपट, दुर्व्यपदेसन या भूल से किया गया हो, परिवर्तन करके।

(ग) किसी लेखन या गणित सम्बन्धी भूल को ठीक करके :

परन्तु जिला पंचायत कम से कम 1 माह पूर्व ऐसे किसी परिवर्तन या संशोधन जिसे वह इस नियम के अधीन करने का प्रस्ताव करें, नोटिस देगा। जिसमें कर निर्धारिती की आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा। यदि प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन से निर्धारित कर बढ़ जाय या इससे कर निर्धारित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

11–कर की वसूली :

कार्याधिकारी, कर अधिकारी, राजस्व अधीक्षक, कर निरीक्षक, कर समाहर्ता और जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी, जिसे जिला पंचायत द्वारा कर वसूल करने के लिये प्राधिकृत किया जाय, कर वसूल करेगा और उसे प्रपत्र–5 से एक रसीद देगा।

12–कर की किस्त :

सम्बद्ध वर्ष के लिये कर की समस्त धनराशि का भुगतान दो समान किस्तों में प्रति वर्ष पहली किस्त 15 मई तक और दूसरी किस्त 15 नवम्बर तक जिला पंचायत के कार्यालय में जमा की जावेगी :

परतु कोई करदाता वर्ष के लिये कर की समस्त धनराशि का भुगतान 15 मई या उससे पूर्व करता है तो उसे एक प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

13–कर वसूल करने की रीति :

यदि कर दाता कर या उसके किसी भाग का भुगतान न करे तो कर के बकाये के रूप में देय समस्त धनराशि जनपद न्यायालय ऊधमसिंह नगर के माध्यम से वसूली के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

(क) अधिनियम के अध्याय–8 की उपधारा 147 से 155 के अधीन नियत रीति से या तो चल–सम्पत्ति का अभिहरण और बिक्री करके या;

(ख) भू–राजस्व की बकाये के रूप में जैसा कि अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित है, वसूली की जावेगी।

14–मांग की नोटिस आदि पर शुल्क (धारा 150) :

अधिनियम के अध्याय–8 की धारा 147 से 155 के उपबन्धों के अनुसार कर के बकाया की वसूली की दशा में शुल्क और व्यय निम्नलिखित दर से वसूल किया जावेगा।

(1) निम्नलिखित के लिए शुल्क	धनराशि
(क) अधिनियम की धारा 150 के अधीन नोटिस	2.00 रु0 या जैसा राज्य सरकार के संग्रह विभाग द्वारा तत्दृशी कार्य के लिए समय–समय पर किया जाय या इसमें जो भी अधिक हो।
(ख) अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन अभिहरण	5.00 रु0 या जैसा राज्य सरकार के राजस्व संग्रह विभाग द्वारा तत्दृशी कार्य के लिए समय–समय पर निर्धारित किया जाय या इसमें जो भी अधिक हो।
(2) अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन अभिगृहीत और काजी हाऊस में रखे गये किसी पशुधन के अनुरक्षण का व्यय	जिला पंचायत द्वारा प्रतिबन्धित काजी हाऊस में रखे पशुधन के सम्बन्ध में जिला पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर।

15–भू–राजस्व के बकाये की भांति कर की वसूली :

भू राजस्व भी बकाये की भांति कर के बकाये की वसूली की दशा में जिला पंचायत जिला अधिकारी को एक प्रमाण–पत्र भेजेगा, जिसमें करदाता द्वारा देय धनराशि विनिर्दिष्ट की जायेगी।

16–नियम–15 के विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रमाण–पत्र प्रपत्र ''घ'' में तैयार किया जायेगा, जिसमें जिला पंचायत द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित होंगे और उसे उस जिले के जिसमें कर दाता या उसका विधिक प्रतिनिधि सामान्यतया निवास करता हो, जिलाधिकारी को भेजेगा।

17–नियम–16 के अनुसार प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर जिलाधिकारी (ऊधमसिंह नगर) उसे इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में दर्ज करायेंगे और प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट धनराशि को भू–राजस्व की बकाये की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे।

18–नियम–17 के अधीन जिलाधिकारी द्वारा वसूल की गयी धनराशि यथासम्भव वसूली के दिनांक से एक माह के भीतर जिला पंचायत को भेजी जायेगी।

19—अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन किसी अभिहरण की कार्यवाही में या भू—राजस्व के बकाये की भांति किसी वसूली में अभिगृहीत पशुधन को यथासम्भव जिला पंचायत द्वारा प्रबन्धित निकटतम काजी हाऊस में रखा जायेगा।

20—कर की वापसी :

कर वापसी व भुगतान की प्रक्रिया—कोई व्यक्ति, जिसने सम्पूर्ण अधिवर्ष के लिए कर का भुगतान कर दिया है और जो इस अवधि के लिए कर निर्धारण से मुक्त हो गया हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कर की आनुपातिक धनराशि वापस पाने का अधिकारी होगा :—

(क) केवल पूरे मास के लिये ही धन की वापसी की जायेगी।

(ख) धनराशि की वापसी की गणना करने में पूरे मास से कम किसी खण्डित अवधि की गणना नहीं की जायेगी और ;

(ग) कोई धनराशि तब तक वापस नहीं की जावेगी, जब तक इस सम्बन्ध में सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को लिखित नोटिस न दी जायेगी।

21—अपील (धारा 135 और 136) :

21—(1) विभव और सम्पत्ति कर के निर्धारण या उसमें किसी परिवर्तन या संशोधन के विरुद्ध अपील अधिनियम की धारा 135 के अधीन निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत प्राधिकारी को की जा सकती है।

(2) अपील ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जावेगी जिसमें इस आदेश की प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, आपत्तियों के कारण संक्षिप्त रूप में दिये जावेंगे।

(3) प्रतिवादियों पर तामिल करने के लिये अपील के ज्ञापन के साथ उसकी पर्याप्त संख्या में प्रतिलिपियां और इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "ड" में नोटिस की प्रतिलिपियां भी होंगी।

(4) अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर उसके प्रस्तुत करने का दिनांक लिखा जावेगा, और यदि वह समय से प्रस्तुत किया हो और अधिनियम की धारा 136 के खण्ड "ख" के उपबन्धों का अनुपालन किया गया हो।

(5) नियत प्राधिकारी के विवेकानुसार सुनवायी की किसी प्रक्रिया पर किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित किया जा सकता है।

(6) दोनों पक्षों की सुनवायी करने के पश्चात् नियत प्राधिकारी अपना आदेश लिखित रूप में देगा, जिसमें उसके विनिश्चय के कारण दिये होंगे और वह उस पर हस्ताक्षर कर उसे सुनायेंगे।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
ऊधमसिंह नगर

अध्यक्ष,
जिला पंचायत,
ऊधमसिंह नगर

पी0 के0 मुलासी,
अपर आयुक्त,
कृते आयुक्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/526—भाग 3—2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।